(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1480–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 11–05–2015 पारित द्वारा कलेक्टर अशोकनगर के प्रकरण कमांक 32/बी–121/2014–15.

1. मुनीर खां पुत्र छोटेखान
2. प्रयागदास पुत्र बल्देवदास
3. कैलाश पुत्र शिवचरण औझा
4. साबुद्दीन खान पुत्र सुबराती
5. रजिया वेवा पत्नि फिरोजखान
6. हरिशंकर पुत्र हरिनारायण ब्रा0
7. कृषणभान सिंह पुत्र बाबूसिंह यादव
8. हरिनारायण पुत्र बाबूलाल वैरागी
9. मंजू पत्नि राजेश सोनी
10. देवेन्द्र कुमार पुत्र गंगाकिशन
11. सत्यनारायण पुत्र कैलाश सोनी
12. मोतीलाल पुत्र रामप्रसाद ओझा

निवासी वार्ड कं 8 लम्बरदार मोहल्ला अशोकनगर

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन
2. सुरेन्द्र पुत्र श्री रमेश कुमार बैरागी

निवासी वार्ड कं 8, लम्बरदार, मोहल्ला अशोकनगर

——— अनावेदकगण

.....

श्री जी0पी0 नायक, अभिभाषक आवेदकगण
श्रीमती नीना पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01/05/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक मुनीरखान ने माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के रिट पिटीशन कमांक 2712/011 में पारित आदेश दिनांक 21–4–11 एवं रिट पिटीशन कमांक 8800/2012 में पारित आदेश दिनांक 13–2–13 के अनुकम में मंदिर औकाफ धनुषधारी अशोकनगर की भूमि की जांच इन्द्राज बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसपर कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर सुनवाई शुरू की गई। कलेक्टर ने आवश्यक कार्यवाही के पश्चात आदेश दिनांक 11–5–2015 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमियां मंदिर श्री धनुषधारी वांके देहाजा माफी औकाफ स्थित लम्बरदार मोहल्ला अशोकनगर की होना माना है और आवेदकगण के पक्ष में पुजारी द्वारा किया गया अंतरण अवैधानिक मानते हुये आवेदकगण का आवेदन निरस्त किया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि भूमि खसरा नम्बर 644, 645, 647, 648, 655, 658, 660, 669, 752, 754, 1330, 1397 एवं 1399 कुल भूमि 98 बीघा 8 विस्बा पूर्व में उक्त सर्वे नम्बरों पर भूमिस्वामी के रूप में मंदिर पुख्ता खास बांके देव ऐतमान पुजारी मोहनदास, रतनदास बैरागी दर्ज चला आ रहा है तथा कमलदास मोहनदास का पुत्र है। यह भी तर्क दिया कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में पूर्णतः मध्य भारत माफी एण्ड इनाम टेनंट एण्ड सबटेनेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1954 जिसके द्वारा माफीदार और इनामदारों को संरक्षण मध्य भारत के समय मध्यप्रदेश लेंड रेवेन्यू एण्ड टेनेंसी एक्ट एवं बाद में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रर्वत होने के उपरांत समस्त माफीदार भूमिस्वामी घोषित किये जाने के अधिकारी हैं। कलेक्टर ने विधि के उपबंधों एवं मान0 उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायालयों के दिशा निर्देषों के पालन में उचित आदेश पारित नहीं किया गया है, एवं अपने आप में विरोधाभाषी आदेश पारित किया जो प्रथमदृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि कलेक्टर ने इस बिन्दु पर विचार न कर विधि

के उपबंधों एवं उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों के दिशा निर्देशों के पालन में उचित पारित नहीं किया है एवं अपने आप में विरोधाभाषी आदेश प्रथमदृष्टया होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क किया कि आवेदकगणों को जब एक बार स्वत्व अर्जित हो चुके हैं और उन्होंने विवादित भूमि पर अपने रिहायश हेतु भवन निर्मित कर लिये हैं और तदानुसार नगर पालिका परिषद अशोकनगर में नामांतरण करा चुके हैं और नामांतरण के समय जब आपत्ति नहीं आयी और तब से विधिवत सम्पत्तिकर जमा कर रहे हैं और अब वर्तमान में संहिता के प्रर्वत होने के तहत भूमिस्वामी के अधिकार अर्जित कर चुकें है। इस बिन्द पर कलेक्टर द्वारा बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जा कर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रश्नाधीन भूमियां सन् 1918 से वर्तमान तक मंदिर श्री धनुषधारी के नाम से शासकीय अधिकार अभिलेख में दर्ज हैं। कलेक्टर द्वारा विस्तृत आदेश पारित कर सभी बिन्दुओं का निराकरण किया है और प्रश्नाधीन भूमि माफी ऑकाफ की मान्य की है। कलेक्टर के आदेश उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1975 सन् 1918 सरकार ग्वालियर गर्वमेंट माफी अतिऐ सरकार मंदिर श्री धनुषधारी वांके देह हाजा व ऐतमाम लालदास गुरू दयालदास वैरागी स0देह दर्ज है। जमावंदी खतोनी सन् 1950–51 लगायत 2014–15 तक प्रश्नाधीन भूमियां मंदिर श्री धनुषधारीजी वांके वेहाजा व अहितमा पुत्र मोहनदास गुरू सूरजदास जाति वेरागी माफी ऑकाफ प्रबंधक कलेक्टर दर्ज है। स्पष्ट है कि वर्ष 1918 से वर्तमान तक लगभग 97 वर्ष तक प्रश्नाधीन भूमि माफी ऑकाफ की दर्ज कलेक्टर द्वारा सिद्ध पाया है जिसमें कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अभिलेख में

संलग्न व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 अशोकनगर के प्रकरण कमांक 254ए/2004 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 17–4–2006 में भी व्यवहार न्यायालय द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमि को निजी भूमि न मानते हुये आवेदकगण को भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी नहीं माना है और आवेदकगण का दावा निरस्त किया है। कलेक्टर द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी विधिसंगत है कि सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 में संपत्ति के अंतरण किये जाने के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है और अंतरिणीय सम्पत्ति का स्वत्वधिकारी है। यहां यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियां किसी निजी स्वत्व की न होकर मॉफी ऑकाफ की होकर मंदिर श्री धनुषधारीजी वांके वेहाजा व अहितमा पुत्र मोहनदास गुरू सूरजदास जाति वेरागी माफी ऑकाफ प्रबंधक कलेक्टर दर्ज है। मंदिर के नाम पर कोई भूमिस्वामी होने पर उसे धारण करने वाला व्यक्ति केवल व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर सकता है उसके द्वारा भूमि का अंतरण नहीं किया जा सकता। खसरों में पुजारी के नाम से यदि त्रुटिपूर्ण इन्द्राज हो भी जाता है तो उसे उक्त भूमि का स्वत्व प्राप्त नहीं हो जाता है और न ही वह उक्त भूमि को अंतरित करने का अधिकारी होता है। जहां तक माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के रिट पिटीशन कमांक 2712/011 में पारित आदेश दिनांक 21–4–11 एवं रिट पिटीशन कमांक 8800/2012 में पारित आदेश दिनांक 13–2–13 का प्रश्न है। उक्त आदेश में मान0 उच्च न्यायालय ने कलेक्टर को विधिवत जांच कर अंतिम निर्णय लेने के निर्देश दिये थे जिसके पालन में कलेक्टर द्वारा विधिवत पंजीबद्ध किया जाकर सुनवाई किये जाने के उपरांत आदेश दिनांक 11–5–2015 के द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों को मंदिर श्री धनुषधारी वांके देहाजा माफी औकाफ स्थित लम्बरदार मोहल्ला अशोकनगर तथा प्रबंधक कलेक्टर दर्ज होना पाया और पुजारी द्वारा किये गये अंतरण को अंतरण अवैधानिक होने से आवेदकगणों कोई स्वत्व अंतरण प्राप्त नहीं पाया है। कलेक्टर द्वारा तहसीलदार अशोकनगर एवं अनुविभागीय अधिकारी, अपर आयुक्त एवं व्यवहार न्यायालय के आदेश के

परिशीलन उपरांत जो निष्कर्ष अपने आदेश में निकाले गये हैं उनमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। अतः कलेक्टर का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। कलेक्टर अशोकनगर का आदेश दिनांक 11–5–2015 विधिअनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर